भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 194
(जिसका उत्तर मंगलवार, 25 नवम्बर, 2014 को दिया गया)

देश में गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों का कार्यकरण

194. श्री सुखेन्दु शेखर राय :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तबूर, 2014 तक देश में कितनी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.) को पंजीकृत किया गया है;
(ख) उन एन.बी.एफ.सीज़ की संख्या कितनी है जो नियमित रूप से रिटर्न फाइल करती हैं और कितनी अस्तित्व में ही नहीं हैं;
(ग) क्या सरकार के पास एन.बी.एफ.सीज़ हेतु कोई व्यापक अनुवीक्षण प्रणाली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) वर्ष 2010 से अक्तूबर, 2014 के दौरान एन.बी.एफ.सीज़ द्वारा लगातार अनियमितताएं करने और गैर-कानूनी कार्यों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(ड.) चूककर्ता एन.बी.एफ.सीज़ के विरूद्ध की गई दंडात्मक कार्रवाई का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (ड.) : गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसीज़) यद्यपि कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कंपनियां हैं, किंतु उनके कार्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय-IIIख के उपबंधों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं। अपेक्षित सूचना रिजर्व बैंक से प्राप्त की जा रही है।

*****